2019 का विधेयक सं. 17

राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) अधिनियम, 2019 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1960 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 का निरसन.-राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 23) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

Bill No. 17 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN SEEDS AND SEEDLINGS (REPEAL) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Seeds and Seedlings (Repeal) Act, 2019.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Repeal of Rajasthan Act No. 23 of 1960.— The Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960 (Act No. 23 of 1960) is hereby repealed.